विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांकः– 18/2026
संस्थित दिनांकः– 11.05.2026

श्रीमती सत्तो नाग,
पति स्व0 श्री महादेव नाग,
उम्र 50 वर्ष, ग्रामः– नानगुर खासपारा,
ग्राम पंचायत अलनार
बी0पी0क्र0 1009956374 (494–001)
मो0नं0 7587470176

परिवादी/आवेदिका

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
जगदलपुर (छ.ग.)

उत्तरवादी/अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 07.07.2026 को पारित)

1. परिवादी द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने एवं खराब विद्युत ट्रांसफार्मर को बदलकर नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाकर जल्द से जल्द विद्युत बहाल करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं हैः– 1. परिवादी का ग्राम नानगुर में वैधानिक पंप विद्युत कनेक्शन संचालित है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :– परिवादी को प्रदान किये विद्युत कनेक्शन में दिनांक 08.05.2026 से आपूर्ति बाधित हुई। जिसकी शिकायत मौखिक रूप से परिवादी द्वारा लाईन कर्मचारियों को दी गई। दिनांक 11.05.2026 को लिखित शिकायत सहायक अभियंता (ग्रामीण) उपसंभाग, जगदलपुर को दी गई। परिवादी द्वारा खराब ट्रांसफार्मर को बदली किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :– दिनांक 08.05.2026 को ग्राम–अलनार, नानगुर के 25 KVA क्षमता के ट्रांसफार्मर में विद्युत आपूर्ति बंद होने की सूचना नानगुर वितरण केन्द्र के कर्मचारियों को प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा ट्रांसफार्मर बदली करने हेतु दिनांक 11.05.2026 को

सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन दिया गया। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 13.05.2026 को ट्रांसफार्मर बदली कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दिया गया। जिसका संतुष्टि पत्र विद्युत विभाग द्वारा प्राप्त किया गया।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते है :– क्या परिवादी विद्युत आपूर्ति में व्यवधान को दूर कर नियमित आपूर्ति के हकदार है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष :– परिवादी के विद्युत कनेक्शन में आपूर्ति दिनांक 08.05.2026 को बाधित हुई। उत्तरवादी द्वारा खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर विद्युत आपूर्ति दिनांक 13.05.2026 को नियमित की गई।

6. मैं उक्त विचारणीय का निष्कर्ष यह देता हूँ कि :– परिवादी द्वारा किये गये शिकायत का निराकरण उत्तरवादी द्वारा किया गया है। परिवादी विद्युत विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट है।

7. संपूर्ण प्रश्नों कि विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि:– परिवादी/अनावेदक के की गई शिकायत का निराकरण निर्धारित समय में कर लिया गया है। प्रकरण पर अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।

9. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

आदेश पारित किया गया

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर